

**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**

अपील नं० ..... १३७/२०१३ ..... जिला ..... जयपुर .....  
 उनवान ..... तिरुपति लास्ट्री मेडिकल छात्रावास A.C. A.E. जोन-1, जयपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---------------------------------	---


12.5.2014


**श्री जे.आर. लोहिया, सदस्य  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य**

अपीलार्थी की ओर से श्री अलोकेश शर्मा वि. अखिलका एवं उत्पथी की ओर से श्री रामकरण सिंह DCA उपर।

श्री अलोकेश शर्मा ने लिखित आवेदन प्रस्तुत कर जाहिर किया कि यह अपील उपायुक्त (अपील) के रा. मू. प. क. अ की धारा 38 (4) के तहत पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी। अब अपील का निष्पादन अपीलार्थी की कार्यवाही द्वारा किया जा चुका है और मां कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की अपील का वापस (withdraw) लेना चाहते हैं।

उत्पथी के वि. उ. रा. अ. उ. मा. बोर्ड एतराज नहीं करता। गणतंत्र के अंतर्गत अपील वापस लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाये। अपील अस्वीकार की जाती है।

  
 जज  
 राजस्थान कर बोर्ड  
 अजमेर

  
 जज  
 राजस्थान कर बोर्ड  
 अजमेर